भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5785

उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

कक्षा दस के लिए सीबीएसई दो-बोर्ड परीक्षा नीति का कार्यान्वयन

†5785. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत इस वर्ष से देश में कक्षा दसवीं के छात्रों के लिए दो-बोर्ड परीक्षा नीति लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त नीति छात्रों को देश में एक ही शैक्षणिक वर्ष में दो बोर्ड परीक्षाओं में बैठने का विकल्प प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दो परीक्षाओं की संरचना, पाठ्यक्रम की एकरूपता और मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और अन्य बोर्डों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस नीति का उद्देश्य प्रमाणन के लिए सर्वोत्तम अंक (बेस्ट स्कोर) पर विचार किए जाने का प्रावधान सहित कक्षा दसवीं के छात्रों के तनाव को कम करना और उनके प्रदर्शन में सुधार करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) सभी संबद्ध बोर्डों में इस नीति को राष्ट्रव्यापी रूप से लागू करने की समय-सीमा क्या है और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2026 की परीक्षाओं से कक्षा-10 के लिए 'दो-बोर्ड परीक्षा नीति' शुरू की है जिसके अंतर्गत कक्षा-10 के विद्यार्थियों को 03 विषयों तक अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का दूसरा अवसर मिलेगा। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i. सभी विद्यार्थियों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है।

ii. उत्तीर्ण और पात्र सभी विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किन्हीं तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति दी जाएगी।

iii. यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषयों में उपस्थित नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को "एसेंशियल रिपीट" श्रेणी में रखा जाएगा और वे केवल अगले वर्ष फरवरी माह में होने वाली मुख्य परीक्षाओं में ही परीक्षा दे सकेंगे।

iv. जिन छात्रों का परिणाम पहली परीक्षा में 'कम्पार्टमेंट' आया है उन्हें 'कम्पार्टमेंट श्रेणी' के अंतर्गत दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

नीति के अनुसार कक्षा 10 के जो छात्र फरवरी/मार्च में मुख्य परीक्षाओं में शामिल हुए हैं वे मई महीने में दूसरी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र हैं। दोनों बोर्ड परीक्षाओं का पाठ्यक्रम एक ही है। दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा की संरचना और मूल्यांकन का पैटर्न भी एक ही है। यह नीति दिनांक 25.06.2025 की अधिसूचना के माध्यम से जारी की गई है (देखें: https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Notification_Two_Board_Examinations_Class_X_2026_25062025.पीडीएफ)।

कक्षा 10 में दो बोर्ड परीक्षाओं की नीति एनईपी 2020 की सिफ़ारिशों पर आधारित है ताकि छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का एक और अवसर मिल सके। परिणाम तैयार करते समय दोनों परीक्षाओं में से बेहतर प्रदर्शन को ही आधार माना जाएगा।

चूँकि शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है इसलिए केंद्र सरकार के स्वामित्व या वित्तपोषण वाले स्कूलों के अलावा अन्य सभी स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से चार राष्ट्रीय-स्तरीय बोर्ड स्थापित किए हैं जिनके नाम हैं: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (उज्जैन), और भारतीय शिक्षा बोर्ड (हरिद्वार)। इनके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने स्वयं के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड स्थापित किए हैं। ऐसे बोर्डों की एक विस्तृत सूची यहाँ उपलब्ध है: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/List_School_Boards.pdf

ये सभी बोर्ड अपने-अपने राज्यों के कानूनी और नियामक ढांचे के भीतर काम करते हैं और मानकीकृत परीक्षा सेवाएं प्रदान करते हुए लागू शिक्षा कानूनों का पालन सुनिश्चित करते हैं। यह संघीय ढांचा राज्यों को अपनी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं और स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाता है साथ ही वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप भी बने रहते हैं।
